भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

2519 अतारांकित प्रश्न संख्या

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थिति

†2519. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा विशिष्ट/विशेषीकृत चिकित्सा सुविधाओं सहित देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आयुष्मान भारत तथा अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के अंतर्गत सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) रोग निवारण, टीकाकरण कवरेज, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने तथा गैर-संक्रामक एवं गैर-संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता, चिकित्सा अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्म तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में सेवा-प्रदान की निगरानी, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा रोगियों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु कौन-कौन सी व्यवस्थाएं/तंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(च) देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, गुणवत्ता, स्वास्थ्य कार्यबल विकास तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में और अधिक सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से अतिरिक्त नीतिगत, वित्तीय तथा संस्थागत उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री प्रतापराव जाधव

(क) से (च): देश भर के अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विशेष चिकित्सा सुविधा केन्द्रों से संबंधित विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructur e%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का विस्तार और विशेषज्ञ पदों का प्रावधान शामिल है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। विवरण पब्लिक डोमेन में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं।

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएम पोर्टल पर दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, 31.12.2025 तक कुल 1,82,944 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित और कार्यरत हो चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) कहा जाता था, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एससीएच) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को उन्नत करके स्थापित किए गए हैं ताकि बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या के 12 पैकेज प्रदान किया जा सके। इन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएचए+एन) सेवाएं, संक्रामक रोग, गैर-संक्रामक रोग (एनसीडी) (उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के 3 सामान्य कैंसर जैसे एनसीडी की जांच और प्रबंधन) शामिल हैं और धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, मुख स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल और आघात देखभाल आदि के लिए अन्य सेवाएं भी जोड़ी जा रही हैं।

एनएचएम के तहत देश के दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा समय पर उपलब्ध कराने के लिए कई अन्य पहलें की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस), मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू), आशा कार्यकर्ता, 24x7 सेवाएं और प्राथमिक रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी), मुफ्त निदान सेवा पहल और मुफ्त दवा सेवा पहल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए), सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और टेलीमेडिसिन शामिल हैं। ये सभी पहलें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एनएचएम के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने की प्रमुख पहलें हैं।

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो आर्थिक रूप से सबसे भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से के लगभग 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

इसके अलावा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), डायरिया रोको अभियान, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यूडब्ल्यूआईएन, मिशन इंद्रधनुष आदि शामिल हैं।

विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), राष्ट्रीय टीबी मुक्त भारत अभियान (टीबीएमबीए), राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी), राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) आदि जैसी कई योजनाएं चलाई जाती हैं।

इसके अलावा, विभिन्न गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी), राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), टेली मानस आदि कार्यक्रम संचालित हैं।

भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए विकसित किए गए हैं, जो देश में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से समान मानकों का एक समूह का प्रावधान करते हैं।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) लागू किया है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडब्ल्यू) द्वारा स्थापित एक व्यापक ढांचा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उसे बढ़ाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निगरानी एक सुदृढ़, बहुस्तरीय ढांचे के माध्यम से की जाती है, जिसमें तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एनपीसीसी बैठकों के दौरान अनुमोदित लक्ष्यों के सापेक्ष राज्यवार प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के माध्यम से नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन शामिल है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक साझा समीक्षा मिशन (सीआरएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण और प्रमुख संकेतकों पर प्रगति का निष्पक्ष, जमीनी आकलन प्रदान करते हैं, जिससे कमियों की पहचान, सुधार और राज्य एवं जिला स्तर पर जवाबदेही को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को समर्थन देने के लिए आवश्यक आधार तैयार करना है। यह डिजिटल माध्यमों के जरिए स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को पाटने का काम करेगा। ABDM के तहत, डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में डेटा की गुणवत्ता, रोगी की सहमति और अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं।

*****